राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 67/2021

निर्णय दिनांक :–

प्रार्थी :–

प्रतीक पुत्र राजेश राठौड उम्र–30 वर्ष

जाति– सरगरा, निवासी–घाणेराव, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 25.08.2022**

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम घाणेराव की खाता संख्या 523 एवं 1094 जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.2700 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., खसरा नम्बर 1958/2 रकबा 0.2540 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दो., एवं खसरा नम्बर 2033/1 रकबा 0.0400 हेक्टर किस्म. गे.मु. कुल खसरे 03 कुल रकबा 0.5640 हेक्टर भूमि में आने जाने के लिए रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.0600 हेक्टर में से उत्तर–पश्चित से दक्षिण–पूर्व की ओर मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका ज[illegible] भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/472 दिनांक [illegible] को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 17.0[illegible] प्राप्त हुइ जिसे [illegible] पत्रावली किया गया।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर

(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested

4– अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1326 दिनांक 17.08.2022 के जरिये पटवार हल्का घाणेराव एवं भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम घाणेराव की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 1957, 1958/2 कुल रकबा 0.5240 हेक्टर भूमि में आवगमन के लिए पडौस स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.06 हेक्टर मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते अतिरिक्त आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित रास्ता के लिये खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.06 हेक्टर में से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने पर खसरा नम्बर 2033 में कुल क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर यानि 0. 0144 हेक्टर भूमि प्रभावित होगी। जो दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 1474956/– रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 144 वर्गमीटर की राशि रूपये 21239/– बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 42478/– बनती है।

5– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.0600 हेक्टर सिवायचक भूमि में से उत्तर–पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 144 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

6– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता सिवाचयक भूमि खसरा नम्बर 2033 में से ही है अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है अतएव

7– तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया की [illegible] खातेदारी भूमि मौजा ग्राम घाणेराव के खसरा नम्बर 1957, 1958/2 कुल [illegible] किस्म चा.दो.जा.दो. भूमि में आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 67/2021 अनवान प्रतीक बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.

जाने हेतु प्रार्थी की मांग अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.0600 हेक्टर में से उत्तर–पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 144 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है इस हेतु प्रार्थी को 42478/– रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी से 144 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 42478/– प्रार्थी से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थी को खातेदारी भूमि ग्राम घाणेराव खसरा नम्बर 1957, 1958/2 कुल रकबा 0.5240 हेक्टर भूमि किस्म चा. दो.जा.दो. में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.0600 हेक्टर में से उत्तर–पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 144 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

निर्णय आज दिनांक 25/8/2022 .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested